मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिये स्वीकृति पत्र

पत्रांक 49 मु0वि0प्रा0 / मानचित्र सं0 BF/e/VC/185/07-08 दिनांक 21 / 06 / 08

सेवा में,

मुरादाबाद एजुकेशनल ट्रस्ट, रामगंगा विहार फेस–2, सिविल लाइन मुरादाबाद द्वारा सचिव यशपाल गुप्ता पुत्र श्री मदन लाल गुप्ता निवासी सिविल लाइन मुरादाबाद ।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत महाविद्यालय हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.07 के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.07 के साथ आप द्वारा प्रस्तुत किया गया महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है :–

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय– जैसे नगर निगम, मु0वि0प्रा0, रेलवे सेटलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है तो उसकी जिम्मेदारी निर्माण कर्ता पर होगी ।
3. भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगा उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
6. दरवाजे व खिडकियां इस तरह लगाये जायेगें कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हो ।
7. बिजली की लाईन में 5 फीट के अन्तर से तथा विधुत उपनियमो (पाइप लाईन) के विरूद्ध कोई कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटेरियल नही रखा जायेगा तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसीफिकेशन) नियमो के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी।
10. सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नही बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपनी ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. मानचित्र मे कटे हुए भाग का निर्माण नही किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।
12. यदि मानचित्र में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कंडीशन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी। एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समय–2 पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान मे रखते हुए ही किया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 को किसी भी धारा से वचने के लिये नही कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।

14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र के वगैर भवन प्रयोग में नही लायेंगे।
15. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
16. आपको आपने परिसर में सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना बी0आई0एस0 की विशिष्ठियों के अनुरूप करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
17. नियमानुसार पेड़ो को अपने परिसर में लगाना होगा।
18. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपकरणो का परीक्षण व इनका सन्तोषजनक रूप से कार्य करने का प्रमाण पत्र अग्नि शमन विभाग से प्राप्त कर प्राधिकरण कार्यालय में पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले जमा करना होगा।
19. आपके परिसर में स्थित अर्बन सीलिंग भूमि जिसका क्षेत्रफल 1227.49 वर्गमीटर है। राज्य सरकार की भूमि है। इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य न होगा तथा इससे कब्जा मुक्त व इस पर आने जाने के मार्ग को स्वतन्त्र रखना होगा।
20. आपके द्वारा प्रस्तावित मानचित्र महाविद्यालय हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि वर्तमान में परिसर में इंजीनियरिंग कालेज का संचालन किया जा रहा है। आपके द्वारा स्वयं लिखित में सूचित किया गया है कि यदि प्रस्तावित मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तित होने पर इंजीनियरिंग कालेज हेतु परिवर्तन न होने पर आप द्वारा इसका उपयोग स्वीकृति अनुरूप महाविद्यालय में ही किया जायेगा। ऐसा न करने पर मानचित्र की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
21. प्रश्नगत प्रस्तावना की स्वीकृति में यदि प्राधिकरण को कोई क्षति होती है तो इसकी समस्त जिम्मेंदारी आवेदक की होगी।
22. मानचित्र स्वीकृति हेतु आरोपित शुल्क रू0 3,20,94,997.00 के विरूद्ध आप द्वारा मात्र रू0 50.00 लाख प्राधिकरण कोष में जमा किये गये अवशेष धनराशि आपके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार एक वर्ष के अन्दर 3 किस्तो में निम्नवत (जिसमे ब्याज सम्मिलित है) जमा करनी होगी निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न होने पर मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

	धनराशि	जमा करने का दिनांक
1.	1,03,73,869.00	11.10.2008
2.	1,03,73,869.00	11.02.2009
3.	1,03,73,869.00	10.06.2009

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

21/6/2008

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद ।